



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग,
खण्ड, चितौडगढ



क्रमांक :- अअ./खण्ड चि/तस /2019-20/ 2245

दिनांक :- 4/11/19

श्रीमान् उपवन संरक्षक,
चितौडगढ।

विषय :- अमृत योजना के अंतर्गत शहरी जल योजना चितौडगढ के फोरेस्ट क्लीयरेन्स प्रस्ताव के संबंध में।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक एफ. () एफसीए/ उ.व.सं./ 2019-20/ 8149
दिनांक 01.10.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि पाइनपोल से किला चितौडगढ तक वन क्षेत्र में डाली जाने वाली पाइप लाईन पिलर्स के उपर डाली जाएगी, जिसके लिए ज्यादा खुदाई इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। 1 मीटर की चौड़ाई से ज्यादा वन क्षेत्र के स्ट्रीप की आवश्यकता नहीं है तथा किसी भी प्रकार के मशीनों यथा एस्केवेटर, केन इत्यादि के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहेगी। 1 मीटर चौड़ाई से अधिक वन क्षेत्र में वनस्पतियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, उसका प्रमाण पत्र संलग्न है।


(मदन लाल मिश्रा)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा0 अभि0 विभाग
खण्ड चितौडगढ



क्रमांक :- अज./खण्ड वि/तस /2019-20/ 2246

दिनांक :- 4/11/19

Proposale Name :- Amrut Yojana (Urban Water Supply Project, Chittorgarh)

Proposal No. :- FP/ RJ/ WATER/ 35465/ 2018

--: प्रमाण पत्र :--

प्रमाणित किया जाता है कि, अमृत योजना के अंतर्गत शहरी जल योजना चित्तौड़गढ़ के तहत पाइपलाइन से किला चित्तौड़गढ़ तक वन क्षेत्र में डाली जाने वाली पाइप लाईन के डालने की प्रक्रिया के दौरान मशीनों यथा एस्केवेटर, क्रेन आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। पाइप लाईन डाले जाने वाले क्षेत्र में 1 मीटर चौड़ाई से अधिक क्षेत्र में वनस्पतियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।


4.11.2019
(मदन लाल मीणा)

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा० अभि० विभाग
खण्ड चित्तौड़गढ़